भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3805
उत्तर देने की तारीख- 11/08/2026

दिव्यांगजन को वित्तीय सहायता और सहायक उपकरण

3805. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा राज्य और बारगढ़ जिले में पंजीकृत दिव्यांगजन की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दिव्यांगजन को प्रदान किए गए सहायक उपकरणों, छात्रवृत्तियों, कौशल विकास कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दिव्यांगजन के लिए कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केंद्र या समग्र क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो बारगढ़ जिले में सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों में सुगम्यता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) परियोजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसके अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिकृत अस्पतालों को दिव्यांगता के प्रकार और प्रकृति के आधार पर दिव्यांगता के मूल्यांकन तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए जोड़ा जाता है। UDID पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, ओडिशा राज्य में कुल 9,83,681 दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं UDID कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 33,848 दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं UDID कार्ड बारगढ़ जिले में जारी किए गए हैं।

(ख): विभाग 'दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/ उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए योजना (एडिप)' को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत देश भर के पात्र दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के सहायक यंत्र/उपकरण जैसे कृत्रिम अंग और ऑर्थोटिक उपकरण, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए उपकरण, मोटर चालित ट्राइसाइकिल/व्हीलचेयर, शैक्षिक किट और अन्य दिव्यांगता-विशिष्ट सहायक यंत्र/उपकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को

निधियां जारी की जाती है। ओडिशा में बारगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बारगढ़ और झारसुगुड़ा जिले शामिल हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के माध्यम से लाभान्वित दिव्यांगजनों की संख्या और इन जिलों में उपयोग की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	बारगढ़	झारसुगुड़ा
शामिल किए गए लाभार्थी	1841	190
उपयोग की गई निधि (लाख रुपये में)	163.70	14.06

इसके अलावा, ओडिशा में छात्रवृत्ति योजना के तहत 10880 लाभार्थियों के संबंध में ₹26.74 करोड़ जारी किए गए हैं।

(ग): बारगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कृत्रिम अंग फिटिंग केंद्र स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 से 45 के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 2(b) के तहत परिभाषित समुचित सरकार, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य निर्मित बुनियादी अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और सुगम्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्लेटफार्मों के निर्माण तथा रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु कानूनी रूप से बाध्य है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार अनुपालन से संबंधित डेटा का केंद्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

हालाँकि, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) लागू करता है। सिपडा की उप-योजना "बाधा मुक्त वातावरण का सृजन" (सीबीएफई योजना) के तहत, अनुपालन प्रस्तावों की प्राप्ति के अनुसार मौजूदा सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों में बाधा मुक्त वातावरण के सृजन के लिए मांग के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान ओडिशा से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
